

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 46 : Notice to return defaulters**

Where a registered person fails to furnish a return under section 39 or section 44 or section 45, a notice shall be issued requiring him to furnish such return within fifteen days in such form and manner as may be prescribed.

---

**धारा 46 : विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना**

जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, उससे विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

---